

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

वादपत्र सं. 139/2024

अनुवान तुलछी आदि बनाम मैना आदि
दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 26/08/2025

1. तुलछी पत्नी बीरबल जाति ब्राहमण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु -मृतक
 2. बिशनलाल पुत्र बीरबल जाति ब्राहमण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु
 3. भंवरलाल पुत्र बीरबल जाति ब्राहमण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु
- वादीगण

बनाम्

1. मैना पुत्री बीरबल पत्नी लेखराम जाति ब्राहमण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर हाल गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरु राजस्थान
 2. सीता पुत्री बीरबल पत्नी जगदीशप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु राजस्थान
 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरु
- प्रतिवादीगण

उपस्थिति -

1. श्री शंकरदास स्वामी एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री कुन्दनसिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं० 3

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख० नं० 75 क्षेत्रफल 1.5900 हैक्टेयर, ख० नं० 76 क्षेत्रफल 5.8300 हैक्टेयर, ख० नं० 78 क्षेत्रफल 2.9900 हैक्टेयर, ख० नं० 95 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर, ख० नं० 96 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, ख० नं० 97 क्षेत्रफल 1.6100 हैक्टेयर, ख० नं० 98 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर कुल रकबा 17.8400 हैक्टेयर रोही हरपालसर तहसील सरदारशहर में स्थित है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न पेश है। बीरबल पुत्र भैरा हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण निवासी पूलासर खातेदार के नाम से था। जिसका विरास्तन नामान्तरण वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया। वादी के दादा भैरा पुत्र अर्जन हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण निवासी पूलासर खातेदार का रिकॉर्ड यथावत रह गया। बीरबल अपने पिता भैरा की एकमात्र संतान है। उक्त खाते में 1/10 हिस्सा भूमि बीरबल पुत्र भैरा तथा 1/10 हिस्सा भूमि भैरा पुत्र अर्जन यानि 2/10 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 का ब०हि०ब० खातेदार उपरोक्त कृषि भूमि में है। जिस पर वादीगण काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपनी हिस्सा भूमि वादीगण के हक में छोड़ रखी है जिस पर वादीगण की काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी सं० 1 व 2 उक्त हिस्सा भूमि पर काश्त नहीं करती है और अपनी हिस्सा भूमि अपने भाईयों के हम में छोड़ चुकी है। अपने पिता का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के प्रत्येक के हिस्से में 1/50-1/50 हिस्सा भूमि राजस्व

रिकॉर्ड में दर्ज हुई। जबकि दादा भैरा उर्फ अर्जुन की हिस्सा भूमि 1/10 यथावत ही भैरा के नाम दर्ज रह गया जिसमें भी वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 का ब०हि०ब० यानि प्रत्येक का 1/50-1/50 हिस्सा दर्ज रह गया। जिस भूमि की खातेदारी घोषणा अपने नाम करवाकर अपने दादा भैरा की 1/10 हिस्सा भूमि प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 1/50-1/50 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादीगण अपना खाता केन्द्र से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादीगण को इस गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को कहा एवं कहलवाया कि राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवा ले तो वोह टालमटोल करती रही और आखिरकार दिनांक 24.07.2024 को बमुकाम पूलासर में मानने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार इनकारी दिनांक से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हेतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख० नं० 75 क्षेत्रफल 1.5900 हैक्टेयर, ख० नं० 76 क्षेत्रफल 5.8300 हैक्टेयर, ख० नं० 78 क्षेत्रफल 2.9900 हैक्टेयर, ख० नं० 95 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर, ख० नं० 96 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, ख० नं० 97 क्षेत्रफल 1.6100 हैक्टेयर, ख० नं० 98 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर कुल रकबा 17.8400 हैक्टेयर रोही हरपालसर तहसील सरदारशहर तुलछी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/50, बिशनलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, भंवरलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, मैना पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, सीता पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, भैरा पुत्र अर्जन हिस्सा 1/10 के बजाए वादगत कृषि भूमि में 2/10 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण के नाम ब०हि०ब० के खातेदार है। तदनुसार खातेदारी दर्ज की जावे और राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ता 2 की ओर से श्री कुन्दनसिंह ने वकालतनामा व इकबाल जवाबदावा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामे के अनुसार कृषि भूमि ख० नं० 75 क्षेत्रफल 1.5900 हैक्टेयर, ख० नं० 76 क्षेत्रफल 5.8300 हैक्टेयर, ख० नं० 78 क्षेत्रफल 2.9900 हैक्टेयर, ख० नं० 95 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर, ख० नं० 96 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, ख० नं० 97 क्षेत्रफल 1.6100 हैक्टेयर, ख० नं० 98 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर कुल रकबा 17.8400 हैक्टेयर रोही हरपालसर तहसील सरदारशहर तुलछी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/50, बिशनलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, भंवरलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, मैना पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, सीता पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, भैरा पुत्र अर्जन हिस्सा 1/10 के बजाए वादगत कृषि भूमि में 2/10 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण सं० 2 व 3 के नाम ब०हि०ब० के खातेदार है। तदनुसार खातेदारी दर्ज की जावे और राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण किया जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं० 3 पैरोकार राज को बार-बार अवसर देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर जवाब बन्द किया गया। वादीगण के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।


सरदारशहर (चुरू)

बहस पक्षकारान वाद सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस राजीनामे के अनुसार कृषि भूमि ख0 नं0 75 क्षेत्रफल 1.5900 हैक्टेयर, ख0 नं0 76 क्षेत्रफल 5.8300 हैक्टेयर, ख0 नं0 78 क्षेत्रफल 2.9900 हैक्टेयर, ख0 नं0 95 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर, ख0 नं0 96 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, ख0 नं0 97 क्षेत्रफल 1.6100 हैक्टेयर, ख0 नं0 98 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर कुल रकबा 17.8400 हैक्टेयर रोही हरपालसर तहसील सरदारशहर तुलछी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/50, बिशनलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, भंवरलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, मैना पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, सीता पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, भैरा पुत्र अर्जन हिस्सा 1/10 के बजाए वादगत कृषि भूमि में 2/10 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण सं0 2 व 3 के नाम ब0हि0ब0 के खातेदार है। तदनुसार खातेदारी दर्ज की जावे और राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद का समर्थन करते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया।


वकील वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व राज पैरोकार के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि वादीगण वादगत भूमि के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं रिकार्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामे के अनुसार कृषि भूमि ख0 नं0 75 क्षेत्रफल 1.5900 हैक्टेयर, ख0 नं0 76 क्षेत्रफल 5.8300 हैक्टेयर, ख0 नं0 78 क्षेत्रफल 2.9900 हैक्टेयर, ख0 नं0 95 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर, ख0 नं0 96 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, ख0 नं0 97 क्षेत्रफल 1.6100 हैक्टेयर, ख0 नं0 98 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर कुल रकबा 17.8400 हैक्टेयर रोही हरपालसर तहसील सरदारशहर तुलछी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/50, बिशनलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, भंवरलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, मैना पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, सीता पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, भैरा पुत्र अर्जन हिस्सा 1/10 के बजाए वादगत कृषि भूमि में 2/10 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण सं0 2 व 3 के नाम ब0हि0ब0 के खातेदार है। तदनुसार खातेदारी दर्ज की जावे और राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण किया जाने का निवेदन किया। भूमि रहन यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।


(दिव्या) RAS
उपसहायक कमिश्नर
सरदारशहर (बूक)

निर्णय आज दिनांक 26/8/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिव्या) RAS
उपसहायक कमिश्नर
सरदारशहर (बूक)

डिक्री ब मुकदमें इब्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व
बइजलास दिव्या (आर.ए.एस.)
वादपत्र सं. 139 / 2024

अनुवान तुलछी आदि बनाम मैना आदि
दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शंकरदास स्वामी एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री कुन्दनसिंह, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं० 3 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामे के अनुसार कृषि भूमि ख० नं० 75 क्षेत्रफल 1.5900 हैक्टेयर, ख० नं० 76 क्षेत्रफल 5.8300 हैक्टेयर, ख० नं० 78 क्षेत्रफल 2.9900 हैक्टेयर, ख० नं० 95 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर, ख० नं० 96 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, ख० नं० 97 क्षेत्रफल 1.6100 हैक्टेयर, ख० नं० 98 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर कुल रकबा 17.8400 हैक्टेयर रोही हरपालसर तहसील सरदारशहर तुलछी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/50, बिशनलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, भंवरलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/50, मैना पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, सीता पुत्री बीरबल हिस्सा 1/50, भैरा पुत्र अर्जन हिस्सा 1/10 के बजाए वादगत कृषि भूमि में 2/10 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण सं० 2 व 3 के नाम ब०हि०ब० के खातेदार है। तदनुसार खातेदारी दर्ज की जावे और राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण किया जाने का निवेदन किया। भूमि रहन यथावत रहेगी।

.....बीज
मुबलिगबाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व
शरह फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
26 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।

मोहर

दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(बुरु)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	10	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	3	00			
मिजान	14	00	मिजान	01	00